पथ निर्माण विभाग

878 (6)
29/1/19

दिनांक–29/01/2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत किशनगंज–बहादुरगंज पथ के कि0मी0 0 से 19.30 में C.M.B.D. अन्तर्गत पथ निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015–16 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
(v) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–253(अनु0) दिनांक–21.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत किशनगंज–बहादुरगंज पथ के कि0मी0 0 से 19.30 में C.M.B.D. अन्तर्गत पथ निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015–16
2.2	एकरारनामा संख्या	:	06/CMBD/2015-16
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹44,38,65,038.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Jai Mata Dee Construction, Araria
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	04.09.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	03.05.2017 (Construction Work)
2.7	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	:	30.11.2018
2.8	मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि	:	30.11..2018

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

(i) **बालू की अनुपलब्धता के कारण विलंब** :– माह फरवरी 2016 में मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक–404 दिनांक–09.02.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि National Green Tribunal, Eastern Zone द्वारा बालू खनन में रोक लगा दी गई है, जिसके कारण करीब 65 दिनों तक कार्य अवरूद्ध रहा। उपरोक्त के कारण इस मद में संवेदक द्वारा 65 दिनों का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 52 दिनों का अवधि विस्तार का अनुशंसा किया गया है।

(ii) **चुनाव कार्य 2015 (बिहार विधान सभा चुनाव) के कारण विलंब**– बिहार विधान सभा 2015 चुनाव के कारण निर्माण सामग्री की ढुलाई प्रभावित होने पर करीब 15 दिनों तक कार्य बाधित रहा जिसमें 7 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(iii) **बाढ़ के कारण कार्य बाधित** – किशनगंज जिला में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। कार्य स्थल पर बाढ़ का पानी भरने एवं पथांश में कई स्थलों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षतिग्रस्त पथांश में अस्थायी Traffic Restoration कार्य की स्वीकृति भी मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार(या0) के पत्रांक–1318 दिनांक–11.10.2017 द्वारा प्रदान की गई थी। संवेदक द्वारा इस मद में 125 दिनों का समयवृद्धि का अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(iv) **रेलवे रैक प्याइंट की अनुपलब्धता के कारण विलंब** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि ससमय एवं आवश्यकता के अनुरूप रेलवे रैक की अनुपलब्धता के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हुआ। संवेदक द्वारा उपलब्ध रैक को खाली कराने हेतु भी स्टेशन मैनजेर, रेलवे, किशनगंज से अनुरोध किया गया, परनतु रेलवे द्वारा Stone Chips के unloading के लिए असमर्थता व्यक्त की गई। उपरोक्त के आलोक में संवदेक द्वारा 117 दिनों की अनुरोध किया गया, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(v) **स्थानीय लोगो द्वारा माननीय उच्च नयायालय में वाद दायर करने के कारण विलंब** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा पथ के उँचीकरण करने का विरोध करते हुए जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, किशनगंज में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा संवदेक के पक्ष में आदेश निर्गत किया गया, तत्पश्चात् कार्य प्रारंभ किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी writ दायर किया गया। उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा 173 दिनों की अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(vi) **जाम की समस्या के कारण Expansion Joint के कार्य में विलंब** – Expansion Joint कार्य करने के दौरान जाम लगने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा संवदेक के कार्यस्थल पर कार्य कर रहे स्टाफ से मारपीट करने के कारण संवेदक द्वारा दिनांक–12.06.2017 को लिखित सूचना, थानाध्यक्ष कोचाधामन, किशनगंज को दिया गया। कार्यपालक अभीयंता से भी रात्रि में कार्य करने हेतु पुलिस वल प्रतिनियुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संवेदक द्वारा अनुरोध किया गया। उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा 77 दिनों का इस मद में समयवृद्धि का अनुरोध किया गया, जिसकी अनुशंसा की गई हे।

अतः उपरोक्त वर्णित कारणों से कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 551 दिनों अर्थात् दिनांक–30.11.2018 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वार सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयंकित कार्य में दिनांक 30.11.2018 तक समयवृद्धि इस शर्त्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–253(अनु0) दिनांक–21.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत किशनगंज–बहादुरगंज पथ के कि0मी0 0 से 19.30 में C.M.B.D. अन्तर्गत पथ निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2015–16 (एकरारनामा सं0–06/CMBD/2015-16) हेतु दिनांक–30.11.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

29/01/19	29.1.19	29/01/19	29/1/19	29.1.19
(रामावतार साह) मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(राजकुमार लाल) मुख्य अभियंता, सीमाचंल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(रजनीश कुमार) उप सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–06–21/2019 878(E) पटना, दिनांक 29/1/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग/सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/1/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ls E ABP